प्रेषक,

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
महराजगंज।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
620 इन्दिरा भवन, लखनऊ।

पत्रांक 05 /अल्पसंख्यक/मद0आधु0 /2020–21 दिनांक 13 अप्रैल, 2020

विषय :– "आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत मदरसों में कार्यरत आधुनिक विषयक शिक्षकों को मानदेय उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।"

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि वर्तमान समय में कोविड–19 को रोकने के दृष्टिकोण से प्रदेश में अपितु पूरे देश में लॉक डाउन चल रहा है, जिसके कारण संकट की इस घड़ी में मुख्य सचिव महोदय उ0प्र0 के कार्यालय पत्र पत्रांक 232/टीएसएमए/2020 दिनांक 30.03.2020 द्वारा कोविड–19 के प्रसार को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से घोषित लॉक डाउन के दृष्टिगत समस्त विभागों में संविदा/आउट सोर्सिंग/नियमित कार्यरत समस्त कार्मिको, विभाग के अधीन कार्यदायी संस्थाओं में कार्य कर रहे कार्मिकों/श्रमिकों के वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान अनिवार्य रूप से दिये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त के क्रम में जनपद के राज्यानुदानित मदरसों के शिक्षकों एवं कार्मिकों तथा मदरसा मिनी आई0टी0आई0 के अनुदेशकों/कार्मिकों का वेतन माह–मार्च, 2020 का भुगतान विभागीय बजट प्राप्त न होने के बावजूद शासन के निर्देश के आधार पर कर दिया गया है। किन्तु मदरसा आधुनिकीकरण योजना से आच्छादित मदरसों के आधुनिक शिक्षकों का मानदये बजट के अभाव में वर्तमान में करना सम्भव नही है । ज्ञातब्य है कि मदरसा आधुनिकीकरण से आच्छादित मदरसों के शिक्षकों का केन्द्रांश मानदेय 11 जुलाई, 2016 से 31.03.2020 तक का बजट आवंटन प्राप्त न होने के कारण मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। उक्त आधुनिक शिक्षकों का केन्द्राश का मानदेय लगभग चार वर्षों का भुगतान न होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी है।

अतः कोविड–19 के संक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित होने के कारण संकट की इस घडी में आधुनिकीकरण योजना से आच्छादित मदरसों में कार्यरत आधुनिक शिक्षक/शिक्षिकाओं को आर्थिक सहायता विभाग द्वारा दिया जा सकता है। जिसके निमित्त आपसे निम्न सुझाव अपेक्षित है।

1– आधुनिक शिक्षकों का लगभग 4 वर्षों का केन्द्रांश न मिलने के कारण उन्हें त्वरित आर्थिक सहायता के रूप में कम से कम 3 माह के केन्द्रांश की धनराशि के बराबर राज्यांश के बजट से धनराशि दे दिया जाय, जो केन्द्रांश के बजट प्राप्त होने पर उसे राज्यांश में समायोजन किया जा सकता है, एवं तीन माह का राज्यांश का वजट देकर त्वरित सहायता के लिए अग्रिम भुगतान पर भी विचार किया जा सकता है।

त्वरित न्यूनतम आर्थिक सहायता का विवरण निम्नवत है :–

क्र0 सं0	मद का प्रकार	योग्यता	वर्तमान प्रचलित प्रति माह मानदेय की दर	03 माह की कुल मानदेय की धनराशि
1	2	3	4	5
1	केन्द्रांश	परास्नातक/बी0एड0	12000	36000
2		स्नातक	6000	18000
3	राज्यांश	परास्नातक/बी0एड0	3000	9000
4		स्नातक	2000	6000

Ashok F 2019-20

Scanned with CamScanner

अतः आपसे अनुरोध है कि जब तक केन्द्रांश का पर्याप्त बजट आवंटन प्राप्त नही हो जाता है तब तक इस राष्ट्रीय आपदा के संकट में मदरसा आधुनिकीकरण योजना से आच्छादित मदरसों के शिक्षकों/शिक्षिकाओं को उपरोक्तानुसार त्वरित आर्थिक सहायता देने पर विचार करने का कष्ट करें, जिसके लिए उपरोक्तानुसार सुझाव महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(प्रवीण कुमार मिश्र)
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
महराजगंज।

Scanned with CamScanner